राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 26/2014

जीसीएमएस नम्बर :– 2014/00033

1. मनभरी पत्नी स्व. श्री सोहनलाल
2. संतरा पत्नी विद्याधर पुत्रवधु सोहनलाल
3. राजेश पुत्र विद्याधर नवीरा सोहनलाल
4. मुकेश पुत्र विद्याधर नवीरा सोहनलाल जिला झुन्झुनू राज0
5. सुमन पुत्री विद्याधर
6. वेदपाल पुत्र सोहनलाल
7. बलबीर पुत्र सोहनलाल

जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना

..........वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र सुरजाराम
2. मदन पुत्र सुरजाराम
3. कमलसिंह पुत्र सुरजाराम
4. सुबेसिह पुत्र सुरजाराम
5. श्रीमती चन्दो पत्नी स्व. झण्डुराम
6. जगवीर पुत्र झण्डुराम
7. श्राजपाल पुत्र झण्डुराम
8. सुरेश पुत्र झण्डुराम
9. सन्तोष
10. सुमित्रा
11. राजबाला
(9–11) पुत्रीयान झण्डुराम
12. हेमराज
13. किशनलाल
14. रणवीर
15. निहाली
16. भतेरी
(12–16) पुत्रान रूपचन्द
17. धर्मा पत्नी स्व. गौरूराम पुत्र वधु रूपचन्द
18. सुरेन्द्र
19. औमप्रकाश
20. राजेन्द्र
21. धर्मवीर
(18–21) पुत्र गौरूराम नवीरा रूपचन्द
22. शकुन्तला पुत्री गौरूराम

जाति जाट नि. गोठ, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:50:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

23. रिछपाल
24. चन्दरूप (फौत) } पुत्रान श्योनारायण

24/1. शेरसिंह
24/2. समशेर सिंह } पुत्रान स्व. चन्दरूप
24/3. फतेसिंह

25. आदराम पुत्र जुगलाल
26. कन्जी पुत्री चेतराम
27. रामसिंह पुत्र चेतराम
28. जलेसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
29. इन्द्राज पुत्र कानाराम
30. रामेश्वर पुत्र कानाराम — जाति जाट निवासी गोठ, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज०
31. महावीर पुत्र कानाराम
32. अमर सिंह पुत्र कानाराम
33. रामस्वरूप पुत्र बिरमा
34. सहीराम पुत्र बिरमा
35. रोहताश पुत्र बिरमा
36. बाहादर पुत्र बिरमा
37. भतेरी पत्नी स्व. लीलाधर
38. उम्मेदसिंह पुत्र लीलाधर
39. आजादसिंह पुत्र लीलाधर
40. हरीसिंह पुत्र लीलाधर
41. सुरेश पुत्र लीलाधर
42. दलीप पुत्र दुलसिंह
43. सुमित्रा पत्नी दलजीतसिंह
44. नीतु पुत्री दलजीतसिंह
45. रितु पुत्री दलजीतसिंह
46. दीपक पुत्र दलजीतसिंह
47. भगवती पुत्र दुलसिंह
48. भतेरी पुत्री बिरमा
49. भरपाई पुत्री बिरमा
50. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा [illegible] जिला झुन्झुनूं
51. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे बैंक [illegible] झुन्झुनूं राज.
52. राजस्थान ग्रामिण बैंक तहसीलदार बुहाना, तह. बु[illegible]. झुन्झुनूं राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:50:49 IST
Reason: SelfAttested

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा खाता विभाजन

:: निर्णय ::

दिनांक– 28.04.2025

(1). वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि:–

1. वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 22 एक ही परिवार के है।
2. यह कि वाके ग्राम गोठ स्थित स्थित जमाबंदी सम्वत् 2067–70 के अनुसार खाता सं. 44 के ख. नं. 238 रकबा 0.12 है., ख. नं. 239 रकबा 0.78 है., ख. नं. 361 रकबा 0.02 है ,ख. नं. 362 रकबा 11.71 है., ख. नं. 386/139 रकबा 0.12 है., ख. नं. 388/161 रकबा 0.25 है., कुल किता 6 कुल रकबा 13.00 है. जिसका वार्षिक लगान 88.04 रूपये है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 22 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिनका हिस्से ओर कब्जे अनुसार खाता विभाजन किया जावे। जिससे वादीगण अपने हिस्से में भूमि सुधार आदि अलग से कर सके।
3. वाके ग्राम गोठ पटवार हल्का ढाढोत कलां स्थित भूमि खाता सं. 45 के ख. नं. 124 रकबा 0.42 है., भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 42 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।
4. वाके ग्राम गोठ पटवार हल्का ढाढोत कलां स्थित भूमि खाता सं. 46 ख. नं. 93 रकबा 0.75 है.,ख. नं. 96 रकबा 1.63 है., ख. नं. 98 रकबा 1.55 है., ख. नं. 99 रकबा 0.33 है., ख. नं. 101 रकबा 0.61 है., ख. नं. 125 रकबा 0.92 है., ख. नं. 147 रकबा 0.78 है., ख. नं. 148 रकबा 0.84 है., कुल किता 8 कुल रकबा 7.39 है. जिसका वार्षिक लगान 15.65 रूपयें जिसके संयुक्त खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 42 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादीगण का हिस्सा अनुसार एवं कब्जा अनुसार खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
5. वाके ग्राम गोठ पटवार हल्का ढाढोत कलां स्थित भूमि खाता सं. 47 के ख. नं. 163 रकबा 1.00 है., ख. नं. 178 रकबा 0.45 है., ख. नं. 179 रकबा 0.37 है., ख. नं. 180 रकबा 0.54 है., ख. नं. 200 रकबा 0.44 है., ख. नं. 201 रकबा 0.45 है., ख. नं. 202 रकबा 0.51 है., ख. नं. 261 रकबा 3.22 है., ख. नं. 353 रकबा 1.47 है., ख. नं. 360 रकबा 1.44 है., ख. नं. 385/196 रकबा 0.70 है., ख. नं. 391/160 रकबा 0.11 है., कुल किता 12 कुल रकबा 10.70 है. जिसका वार्षिक लगान 67.43 रूपयेह । जिसके संयुक्त खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 52 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादी सं. 51 व 52 फौत हो चुके है। जिनके हिस्से की भूमि उनके वारीसान को विरासत में नामान्तरकरण [illegible] है। परन्तु खाता सं. 45 में प्रतिवादी सं. 51 का नाम गलत [illegible] का खाता अलग से विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर [illegible] कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
6. यह कि प्रतिवादीगण 53 व 54 के वाद वर्णित भूमि [illegible] है इसलिए इन्हे पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:30:49 IST
Reason: SelfAttested

किस्म मुकदमा दावा

वादीगण ने वाद पत्र पेश अनुतोष चाहा है कि:–

(अ). वाके ग्राम गोठ स्थित स्थित जमाबंदी सम्वत् 2067–70 के अनुसार खाता सं. 44 के ख. नं. 238 रकबा 0.12 है., ख. नं. 239 रकबा 0.78 है., ख. न 361 रकबा 0.02 है.,ख. नं. 362 रकबा 11.71 है., ख. नं. 386 / 139 रकबा 0.12 है., ख. न. 388 / 161 रकबा 0. 25 है., कुल किता 6 कुल रकबा 13.00 है. में वादीगण का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम कर लगान भी अलग से कायम किया जावे।

(ब). वाके ग्राम गोठ पटवार हल्का ढाढोत कलां स्थित भूमि खाता सं. 45 के ख. नं. 124 रकबा 0.42 है., में वादीगण का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम कर लगान भी अलग से कायम किया जावे।

(स). वाके ग्राम गोठ पटवार हल्का ढाढोत कलां स्थित भूमि खाता सं. 46 ख. नं. 93 रकबा 0.75 है.,ख. नं. 96 रकबा 1.63 है., ख. नं. 98 रकबा 1.55 है., ख. नं. 99 रकबा 0.33 है., ख. नं. 101 रकबा 0.61 है., ख. नं. 125 रकबा 0.92 है., ख. नं. 147 रकबा 0.76 है., ख. नं. 148 रकबा 0.84 है., कुल किता 8 कुल रकबा 7.39 है. में वादीगण का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम कर लगान भी अलग से कायम किया जावे।

(द). वाके ग्राम गोठ पटवार हल्का ढाढोत कलां स्थित भूमि खाता सं. 47 के ख. नं. 163 रकबा 1.00 है., ख. नं. 178 रकबा 0.45 है., ख. नं. 179 रकबा 0.37 है., ख. नं. 180 रकबा 0.54 है., ख. नं. 200 रकबा 0.44 है., ख. नं. 201 रकबा 0.45 है., ख. नं. 202 रकबा 0.51 है., ख. नं. 261 रकबा 3.22 है., ख. नं. 353 रकबा 1.47 है., ख. नं. 360 रकबा 1.44 है., ख. नं. 385 / 196 रकबा 0.70 है., ख. नं. 391 / 160 रकबा 0.11 है., कुल किता 12 कुल रकबा 10.70 है. में वादीगण का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम कर लगान भी अलग से कायम किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। वाद वर्णित भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2015 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 510 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2189 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त करें प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय [illegible], वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। [illegible] उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम गोठ स्थित [illegible] 157, 52 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद [illegible] स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:50:49 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वादीगण के वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गोठ स्थित स्थित जमाबंदी सम्वत् 2067–70 के अनुसार **खाता सं. 44** के ख. नं. 238 रकबा 0.12 है., ख. नं. 239 रकबा 0.78 है., ख. नं. 361 रकबा 0.02 है.,ख. नं. 362 रकबा 11.71 है., ख. नं. 386 / 139 रकबा 0.12 है., ख. नं. 388 / 161 रकबा 0.25 है., कुल किता 6 कुल रकबा 13.00 है., **खाता सं. 45** के ख. नं. 124 रकबा 0.42 है., **खाता सं. 46** ख. नं. 93 रकबा 0.75 है.,ख. नं. 96 रकबा 1.63 है., ख. नं. 98 रकबा 1.55 है., ख. नं. 99 रकबा 0.33 है., ख. नं. 101 रकबा 0.61 है., ख. नं. 125 रकबा 0.92 है., ख. नं. 147 रकबा 0.76 है., ख. नं. 148 रकबा 0.84 है., कुल किता 8 कुल रकबा 7.39 है., **खाता सं. 47** के ख. नं. 163 रकबा 1.00 है., ख. नं. 178 रकबा 0.45 है., ख. नं. 179 रकबा 0.37 है., ख. नं. 180 रकबा 0.54 है., ख. नं. 200 रकबा 0.44 है., ख. नं. 201 रकबा 0.45 है., ख. नं. 202 रकबा 0.51 है., ख. नं. 261 रकबा 3.22 है., ख. नं. 353 रकबा 1.47 है., ख. नं. 360 रकबा 1.44 है., ख. नं. 385 / 196 रकबा 0.70 है., ख. नं. 391 / 160 रकबा 0.11 है., कुल किता 12 कुल रकबा 10.70 है. भूमि में वादीगण का का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 28.4.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:50:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-
सुमन देवी II,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 26/2014

गनभरी आदि बनाम धर्मपाल आदि
दावा खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट की उपस्थिती एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद को सुमन देवी **II** उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वादीगण के वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गोठ स्थित स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के अनुसार **खाता सं. 157** के ख. नं. 238 रकबा 0.12 है., ख. नं. 239 रकबा 0.78 है., ख. नं. 361 रकबा 0.02 है. ,ख. नं. 362 रकबा 11.71 है., ख. नं. 386/139 रकबा 0.12 है., ख. नं. 388/161 रकबा 0.25 है., कुल किता 6 कुल रकबा 13.00 है., **खाता सं. 52** के ख. नं. 124 रकबा 0.42 है., **खाता सं. 88** ख. नं. 93 रकबा 0.75 है.,ख. नं. 96 रकबा 1.63 है., ख. नं. 98 रकबा 1.55 है., ख. नं. 99 रकबा 0.33 है., ख. नं. 101 रकबा 0.61 है., ख. नं. 125 रकबा 0.92 है., ख. नं. 147 रकबा 0.76 है., ख. नं. 148 रकबा 0.84 है., कुल किता 8 कुल रकबा 7. 39 है., **खाता सं. 89** के ख. नं. 163 रकबा 1.00 है., ख. नं. 178 रकबा 0.45 है., ख. नं. 179 रकबा 0.37 है., ख. नं. 180 रकबा 0.54 है., ख. नं. 200 रकबा 0.44 है., ख. नं. 201 रकबा 0.45 है., ख. नं. 202 रकबा 0.51 है., ख. नं. 261 रकबा 3.22 है., ख. नं. 353 रकबा 1.47 है., ख. नं. 360 रकबा 1.44 है., ख. नं. 385/196 रकबा 0.70 है., ख. नं. 391/160 रकबा 0.11 है., कुल किता 12 कुल रकबा 10.70 है. भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 28.4.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय सील से मुद्रांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:50:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)